

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
वि.पू.भु./04 भोपाल-2001.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2001.

जुलै

२००१ (१)

कांग्रेस ५

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

२०१-८ डि. क्र.

१००५ प्रिन्टिंग ६ का

क्रमांक 619]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 नवम्बर 2001—कार्तिक 14, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2001

क्र. 6852-584-इक्कोस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके अतिरिक्त सचिव

Representatives of

(4) 2/11

(5) 2/11

(6) 2/11

Representatives of

2/11

(7) 2/11

(8) 2/11

(9) 2/11

Coll

The for

Each number in

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० सन् २००१.

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००१.

[दिनांक ३१ अक्टूबर, २००१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ नवम्बर, २००१ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००१ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ की उपधारा (१) में, शब्द "एक पैसा" के स्थान पर, शब्द "दस पैसे" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2001

क्र. 6853-584-इकोस-अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 30 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 30 OF 2001.

THE MADHYA PRADESH UPKAR (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2001.

[Received the assent of the Governor on the 31st October, 2001; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th November, 2001.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called "The Madhya Pradesh Upkar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2001.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of Section 3

2. In sub-section (1) of Section-3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982) for the words "one paisa" the words "ten paise" shall be substituted.